न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 242/2020 जिला दौसा

1. श्रीमती किशनबाई पत्नी स्व. श्री बिरदीचन्द, जाति मीणा निवासी मीणा सीमला
तहसील सिकराय, जिला दौसा (मृतक)

1/1. विजयराम पुत्र श्री बिरदीचन्द, जाति मीणा निवासी–मीणा सीमला, तहसील सिकराय, जिला दौसा (राज.) (मृतक)

1/1/1. श्रीमती मनको देवी पत्नी स्व. श्री विजयराम, जाति मीणा निवासी मीणा सीमला तहसील सिकराय, जिला दौसा। (राज.)

1/1/2. सीताराम पुत्र स्व. श्री विजयराम मीणा, जाति मीणा निवासी मीणा, सीमला तहसील सिकराय, जिला दौसा। (राज.)

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. जिला कलेक्टर, दौसा। (राज.)

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.02.2001 द्वारा पारित जिला कलक्टर दौसा (राज.)

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री ध्रुव सिंह बगडिया
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक –31.05.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के निर्णय दिनांक 22.01.2001 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 एवं प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी बाबत वारिसान रिकार्ड पर लिए जाने के प्रार्थना पत्रों के साथ दिनांक 06.11.2020 को प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

जिला कलक्टर दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 22.01.2001 के द्वारा श्रीमति किशनबाई बेवा बिरदीचन्द मीना निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय का ग्राम सीमला तहसील सिकराय स्थिति चरागाह भूमि ख.न. 230/1 रकबा 183 बीघा 03 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थिनी का संवत 2031, 2039, 2041 से 2043, 2045, 2046 में कब्जा काश्त होना नहीं पाये जाने पर राज्यादेश दिनांक 2.2.83 के अनुसार प्रार्थिनी का संवत 2025 से 2056 तक उक्त चरागाह भूमि खसरा नम्बर 230/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा मीना सीमला तहसील सिकराय पर निरन्तर कब्जा काश्त नहीं होने पर उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं होने के कारण एतदद्वारा निरस्त करने के आदेश दिये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 22.01.2001 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमति किशनबाई पत्नी स्व. श्री बिरदीचन्द, विजयराम पुत्र श्री बिरदीचन्द के वारिसान अपील में अपीलान्ट श्रीमती मनको देवी पत्नी

Scanned by CamScanner

स्व. श्री विजयराम व सीताराम पुत्र स्व. श्री विजयराम द्वारा यह अपील मंजूर कर अपीलाधीन आदेश जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 22.01.2001 निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलार्थीगण के दादाजी स्व. श्री बिरदीचन्द मीणा निवासी मीणा सीमला तहसील सिकराय जिला दौसा खसरा 230/1 में रिहायशी घर बनाकर रहते चले आ रहे थे तथा उक्त खसरा नम्बर की करीब 1 बीघा 10 भूमि पर अपीलार्थीगण के दादा काश्त भी करते चले आ रहे थे। उनके देहान्त के पश्चात् उनकी बेटी हमारी दादी श्रीमती किशनबाई अपने परिवार के साथ उक्त खसरा नम्बर पर रिहायश कर काश्त करती चली आ रही थी। श्रीमति किशनबाई बेवा बिरदीचन्द मीना निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय के आवेदन पर तहसीलदार सिकराय की अनुशंषा पर भू–आंवटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 7.6.2002 केम्प मीना सीमला में ग्राम सीमला तहसील सिकराय स्थिति चरागाह भूमि ख.न. 230/1 रकबा 183 बीघा 03 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थिनी किशनबाई का संवत 2025 से कब्जा काश्त होने, ग्राम पंचायत की सहमति होने के आधार पर नियमन करने सिफारिश करने पर सहायक कलक्टर लालसोट ने पत्रादि चरागाह से कम कर सिवाय चक दर्ज करने हेतु जिला कलक्टर दौसा को प्रेषित किये गये। जिला कलक्टर ने दस्तावेजों के परे जाकर अपील राय बनाई हैऔर नियमन खारिज आदेश दिनांक 22.01.2001 पारित किया है। जो अपास्त किए जाने योग्य है। अपीलार्थीगण के पूर्वजों का कब्जा सम्वत 2025 से लगातर रहा है और अब अपीलार्थीगणो का है उन्होनें रिहायश हेतु पक्का मकान बना लिया है और अपने परिवार के साथ खसरा नम्बर 230/1 पर कब्जा काश्त कर रहे हैं। उनके कब्जे को 50 साल से ज्यादा हो चुके है। ऐसी सूरत में अपीलार्थीगण को उनके कब्जे की भूमि का नियमन नहीं करना नियमविरूद्ध है। अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 22.01.2001 को अपास्त फरमाया जावे तथा श्रीमती किशनबाई बेवा बिरदीचंद निवासी ग्राम मीणा सीमला के नियमन हेतु आवेदन पत्र को स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 230/1 वाके स्थित ग्राम मीणा सीमला किस्म चारागाह से सिवायचक में बदलकर 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि को अपीलार्थीगण के नाम की जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी न थी सर्वप्रथम जानकारी तब हुई जब पुलिस थाना मेंहदीपुर बालाजी व राजस्व अधिकारियों ने अपीलार्थीगण/प्रार्थीगण के कब्जेशुदा भूमि की पैमाईश करना तथा पुलिस द्वारा उक्त भूमि को अपने नाम आंवटन होना बताया। अपीलार्थीगण ने अपनी दादी श्रीमती किशनबाई के नियमन प्रार्थना पत्र के संदर्भ में जानकारी चाही नकल हेतु दिनांक 02.09.2020 को आवेदन किया जो दिनांक 03.09.2020 को सम्पूर्ण पत्रावली की नकल प्राप्त हुई तो अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रा. पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 सीपीसी बाबत वारिसान रिकार्ड पर लिए जाने के प्रार्थना पत्रो के साथ दिनांक 06.11.2020 को यह अपील प्रस्तुत की है । अतः प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये उक्त प्रार्थना पत्रों को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत प्रदान की जावे तथा विलम्ब के संबंध में लचिला रूख अपनाते हुये विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विशिष्ट संभागीय आयुक्त
जयपुर

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि जिला कलक्टर सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 22.01.2001 के द्वारा श्रीमति किशनबाई बेवा बिरदीचन्द मीना निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय का ग्राम सीमला तहसील सिकराय स्थिति चरागाह भूमि ख.न. 230/1 रकबा 183 बीघा 03 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थिनी का संवत 2031, 2039, 2041 से 2043, 2045,

Scanned by CamScanner

2046 में कब्जा काश्त होना नहीं पाये जाने पर राज्यादेश दिनांक 2.2.83 के अनुसार प्रार्थिनी का संवत 2025 से 2056 तक उक्त चरागाह भूमि खसरा नम्बर 230/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा मीना सीमला तहसील सिकराय पर निरन्तर कब्जा काश्त नहीं होने पर उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं होने के कारण एतदद्वारा निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं, जो कि पूर्णतया विधि अनुसार है। जिला कलक्टर दौसा ने जो निर्णय पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला कलक्टर दौसा ने अपने निर्णय दिनांक 22.01.2001 के द्वारा श्रीमति किशनबाई बेवा बिरदीचन्द मीना निवासी मीना सीमला तहसील सिकराय का ग्राम सीमला तहसील सिकराय स्थिति चरागाह भूमि ख.न. 230/1 रकबा 183 बीघा 03 बिस्वा में से 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर प्रार्थिनी का संवत 2031, 2039, 2041 से 2043, 2045, 2046 में कब्जा काश्त होना नहीं पाये जाने पर राज्यादेश दिनांक 2.2.83 के अनुसार प्रार्थिनी का संवत 2025 से 2056 तक उक्त चरागाह भूमि खसरा नम्बर 230/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा मीना सीमला तहसील सिकराय पर निरन्तर कब्जा काश्त नहीं होने पर उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं होने के कारण एतदद्वारा निरस्त करने के आदेश दिये गये हैं, जो कि पूर्णतया विधि अनुसार है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.01.2001 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर दौसा दिनांक 22.01.2001 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश भारद्वाज)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner